52

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Construction of HL Bridge Jamui Paharpur HL Bridge over Nati River at PWD Jamui Paharpur Road(Package No-BR-25R-659) कार्य संवेदक M/S Manisha construction(Regd. No-1160250) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार पुल निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि 09.12.2019 है।

प्रश्नगत पुल का निरीक्षण कार्य SQM द्वारा दिनांक 24.06.2022 को कराया गया, परंतु संवेदक द्वारा ATR का निराकरण नहीं कराने के कारण संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2602 दिनांक 29.11.2022 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। इस संबंध में संवेदक द्वारा अबतक कोई भी बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों माध्यम से स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा अबतक ATR निराकरण नहीं कराया गया है। वर्त्तमान में माह 2025 में भी SQM द्वारा दिनांक 27.12.2025 को निरीक्षण में ATR लगाया गया है। संवेदक को कार्यपालक अभियंता का पत्रांक 20 दिनांक 02.01.2026 एवं पत्रांक 116 दिनांक 15.01.2026 द्वारा संवेदक को ATR निराकरण कराने हेतु सूचना दी गई है परंतु ATR का निराकरण संवेदक द्वारा आजतक नहीं कराया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों माध्यम से संवेदक को स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा अबतक ATR निराकरण नहीं कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा कार्य पूर्ण करने की मंशा नहीं है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Construction of HL Bridge Jamui Paharpur HL Bridge over Nati River at PWD Jamui Paharpur Road(Package No-BR-25R-659) में SQM द्वारा लगाए गये ATR का निराकरण नहीं कराने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक M/S Manisha construction(Regd. No-1160250), Vill+Post-Dobhi, Dist-Gaya, Pin-824220 को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ह0/- 02.03.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–261/2026 2948 /पटना, दिनांकः– 9.3.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 02.03.26
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—261 / 2026 2948 / पटना, दिनांकः— 9.3.26

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26

अभियंता प्रमुख

निबंधित / ईमेल

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—261 / 2026 2948 / पटना, दिनांकः— 9.3.26

प्रतिलिपिः— M/S Manisha construction(Regd. No-1160250), Vill+Post-Dobhi, Dist-Gaya, Pin-824220 को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—261 / 2026 2948 / पटना, दिनांकः— 9.3.26

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26

अभियंता प्रमुख